न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

प्रकरण सं0 दिनांक	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
172 / 17	31.10.2017	11.07.2019

उनवान

1. कृष्ण चन्द पुत्र रामकिशन
2. बाबूलाल पुत्र रामकिशन
3. कर्ण सिंह पुत्र श्री रामकिशन जाति यादव निवासी भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रार्थी / वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र श्री बल्ला राम
2. हरिराम पुत्र गजराज
3. कृष्ण पुत्र गजराज
4. अशोक पुत्र बने सिंह
5. लीलू पुत्र हीरा लाल
6. औम प्रकाश पुत्र हीरा लाल
7. विनोद पुत्र बने सिंह जाति यादव निवासी भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. **श्री दुलीचन्द यादव अभिभाषक प्रार्थीगण**
2. **श्री विकास यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण**

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खं0 नम्बर 781 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम है जो मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आ0ख0 नम्बर 781 से प्रतिवादीगण का कोई संबध वो सरोकार नही है।

उप खण्ड अधिकारी (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की आराजी ख0 नम्बर 782 मिन वादीगण की उक्त आराजी से तरफ पश्चिम में लगती हुई है और दोनो के के बीच डोल है। प्रतिवादीगण मुठ मर्द लडाका आदमी है जो कानुन कायदे की कतई परवाह नही करते है। जिन्होने एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है और आये रोज शामलाती दरमियानी डोल को मिसमार व नष्ट कर के नाजायज रूप से मिन वादीगण की आराजी पर अतिक्रमण कर के अपनी आराजी में मिलाकर कब्जा ककरने की कुचेष्टा करते रहते है जिसका कोई कानूनी हक हांसिल नहीं है।

दोराने राजस्व कैम्प श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एव श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 25.09.20217 की अनुपालना में एक टीम गठित कर पक्षकारान के खेतो की पैमाईश करके सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढ़ी करा कर दिनांक 30.09.2017 को मौके पर विवाद समाप्त करने की भरसक कोशिश की गई मगर प्रतिवादीगण द्वारा झगडा फिसाद कर दिया और राज कार्य में बाधा डाली गई। पत्थरगढ़ी के पत्थर उखाड दिये और पटवारी से राजस्व रिकार्ड लेकर फाड दिये। तहसीलदार साहब द्वारा कानुनी कार्यवाही करने की बात आई तो प्रतिवादीगण ने अपनी गलती मानी और पुनः अपने खेतो ख0न0 782, 783 एवं 784 का सीमाज्ञान कराया जाकर मिन वादीगण की आराजी ख0 न0 781 की पत्थरगढ़ी कराये जाने का निवेदन किया, तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 09.10.2017 की पालना में दिनांक 11.10.2017 को पुनः टीम गठित की जाकर मौके पर सीमाज्ञान कराया जाकर ख0 नम्बर 781 की पत्थरगढ़ी करके डोल कायम कर दी गई और पक्षकारान के बीच विवाद समाप्त हो गया। दिनांक 25.10.2017 को प्रतिवादीगण के मन में पुनः बेईमानी आ गई और उन्होने दिनांक 11.10.2017 को की गई पत्थरगढ़ी व डोल बन्दी को मिसमार करने की धमकी दी है और कहा है कि हम किसी पत्थरगढ़ी को नही मानते और डोल तोड कर तुम्हारी आराजी पर कब्जा करेगें। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादो में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को अज हद हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नही होगी। इसलिए दावा हाजा पेश करना लाजिम आया तथा मिन वादीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण/प्रति0 को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थीगण/वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख0 सं0 781 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम भोजराजका की पश्चिमी डोल को मिसमार ना करे, पत्थगडी के पत्थरो को ना उखाडे, ना ही आराजी पर अतिक्रमण कर अपनी आराजी में मिलावे, ना ही वादीगण को माश्त करने में रूकावट डाले।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3, 4 व 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी ने मिथ्या वाद पेश किया जिसमें सफलता की कोई आशा नही करनी चाहिएये जो मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है। प्रार्थीगण/वादीगण ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष झूंठे वाद पत्र, शपथ पत्र, शपथ पत्र एवं फर्जी एवं नुमाईशी दस्तावेजात पेश किये है जिससे प्रार्थीगण/वादीगण का केस बखूबी आयद व साबित नही होता है। जिमन न0 8 जिस कदर बयान किया गया है हाल आराजी खं0 सं0 781 रकबा 0.72 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड होना सही है

उप खण्ड अधिकारी
...िम (अलवर)

Scanned by CamScanner

स्वीकार है बाकी जिमन गलत है। स्वीकार नही है वादीगण ने बेजा रूप से आराजी को विवादित बनाया है आराजी निर्विवाद है। विवादित आराजी खं0 सं0 781 वादीगण का है तथा 782 हम प्रतिवादीगण का तथा उक्त आराजीयात के मध्य 782 हम प्रतिवादीगण का तथा उक्त आराजीयात के मध्य पुख्ता डोल कायम है। दोनो खं0 सं0 का रकबा समान है। लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारियान एवं अधिकारियान द्वारा हम प्रतिवादीगण के खं0 सं0 782 का रकबा एक्स पार्चा में कम दर्शा में कम दर्शाया गया है जबकि मौके पर हमारी आराजी का रकबा 0.72 है0 मौजूद है। और हम अपनी आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। डोल काटने वाली बात व अतिक्रमण करने वाली बात वादीगण ने बिल्कुल मिथ्या दर्ज की है। जिमन न0 5 जिस कदर बयान किया है गलत है स्वीकार नही है। सही तथ्य यह है कि वादीगण की परिवार में पुत्र वधु पटवारी है की जिसने अपने पद और महकमें का नाजायज रूप से फायदा उठाते हुये तहसीलदार साहब से गलत तरीके से मिल्लत कर दिनांक 25.09.2017 को गलत तौर पर आराज़ी की पैमाईश करने गये थे।. चुंकि वादीगण का खं0 सं0 781 व हम प्रतिवादीगण का खं0 सं0 782 के रकबा 0.72 है0 समान समान है। लेकिन हमारे खं0 सं0 782 का रकबा एक्स पार्चा में कम दर्शाया गया है। जिसकी बाबत हमने न्यायालय श्रीमान में एक्स पार्चा दुरूस्ती कराने हेतु हरिराम वगैरा बनाम कृष्ण वगैरा का वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में पेश किया हुआ है कि जो वाद विचाराधीन है जिसकी पेश बन्दी में मौजूदा वाद पेश किया गया है। खं0 सं0 781 वादीगण का एवं 782 हम प्रतिवादीगण का है। दोनो खं0 सं0 के बीच पुख्ता डोल कायम है लेकिन एक्स पार्चा में हमारे खं0 सं0 का रकबा कम दर्शाया गया है और वादीगण के खं0 सं0 का रकबा पूरा है। जिस एक्स पार्चा की दुरूस्ती हेतु हमने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में हरिराम आदि बनाम कृष्ण वगैरा वाद पेश किया है। जो विचाराधीन है। विवादित आराजी खं0 सं0 781 रकबा 0.72 है0 वादीगण का है तथा हम प्रतिवादीगण का खं0 सं0 782 रकबा 0.72 है0 दोनो खं0 सं0 के मध्य पुख्ता डोल कायम है। वादीगण के खं0 सं0 का रकबा एक्स पार्चा में पूरा है तथा हमारे खं0 सं0 का रकबा एक्स पार्चा में कम दर्शाया गया है जिस एक्स पार्चा की दुरूस्ती हेतु हमारे द्वारा न्यायालय श्रीमान में हरिराम बनाम कृष्ण वगैरा वाद पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है उक्त वाद में वादीगण प्रतिवादी की जद में दर्ज है। हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार की डोल नही काटी गई है और ना ही डोल काटने का प्रयास किया गया है लेकिन उक्त वाद की पशबन्दी में हमारे एक्स पार्चा को दुरूस्त नही होने के नियत से वादीगण द्वारा मौजदा वाद मिथ्या तथ्यो के आधार पर पेश किया जो मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है।

विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विवादित आराजी हाल विवादित आराजी खं0 नम्बर 781 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम है जो मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आ0ख0 नम्बर 781 से प्रतिवादीगण का कोई संबध वो सरोकार नही है। प्रतिवादीगण की आराजी ख0 नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

782 मिन वादीगण की उक्त आराजी से तरफ पश्चिम में लगती हुई है और दोनो के के बीच डोल है। प्रतिवादीगण मुठ मर्द लडाका आदमी है जो कानुन कायदे की कतई परवाह नही करते है। जिन्होने एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है और आये रोज शामलाती दरमियानी डोल को मिसमार व नष्ट कर के नाजायज रूप से मिन वादीगण की आराजी पर अतिक्रमण कर के अपनी आराजी में मिलाकर कब्जा ककरने की कुचेष्टा करते रहते है जिसका कोई कानूनी हक हांसिल नहीं है। दौराने राजस्व कैम्प श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एव श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 25.09. 20217 की अनुपालना में एक टीम गठित कर पक्षकारान के खेतो की पैमाईश करके सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढ़ी करा कर दिनांक 30.09.2017 को मौके पर विवाद समाप्त करने की भरसक कोशिश की गई मगर प्रतिवादीगण द्वारा झगडा फिसाद कर दियां और राज कार्य में बाधा डाली गई। पत्थरगढ़ी के पत्थर उखाड दिये और पटवारीं से राजस्व रिकार्ड लेकर फाड दिये। तहसीलदार साहब द्वारा कानुनी कार्यवाही करने की बात आई तो प्रतिवादीगण ने अपनी गलती मानी और पुनः अपने खेतो ख0न0 782, 783 एवं 784 का सीमाज्ञान कराया जाकर मिन वादीगण की आराजी ख0 न0 781 की पत्थरगढ़ी कराये जाने का निवेदन किया, तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 09.10.2017 की पालना में दिनांक 11.10.2017 को पुनः टीम गठित की जाकर मौके पर सीमाज्ञान कराया जाकर ख0 नम्बर 781 की पत्थरगढ़ी करके डोल कायम कर दी गई और पक्षकारान के बीच विवाद समाप्त हो गया। दिनांक 25.10.2017 को प्रतिवादीगण के मन में पुनः बेईमानी आ गई और उन्होने दिनांक 11.10.2017 को की गई पत्थरगढ़ी व डोल बन्दी को मिसमार करने की धमकी दी है और कहा है कि हम किसी पत्थरगढ़ी को नही मानते और डोल तोड कर तुम्हारी आराजी पर कब्जा करेगें। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादो में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को अज हद हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नही होगी। इसलिए दावा हाजा पेश करना लाजिम आया तथा मिन वादीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी खं0 सं0 781 वादीगण का है तथा 782 हम प्रतिवादीगण का तथा उक्त आराजीयात के मध्य 782 हम प्रतिवादीगण का तथा उक्त आराजीयात के मध्य पुख्ता डोल कायम है। दोनो खं0 सं0 का रकबा समान है। लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारियान एवं अधिकारियान द्वारा हम प्रतिवादीगण के खं0 सं0 782 का रकबा एक्स पार्चा में कम दर्शा में कम दर्शाया गया है जबकि मौके पर हमारी आराजी का रकबा 0.72 है0 मौजूद है। और हम अपनी आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। डोल काटने वाली बात व अतिक्रमण करने वाली बात वादीगण ने बिल्कुल मिथ्या दर्ज की है। जिमन न0 5 जिस कदर बयान किया है गलत है स्वीकार नही है। सही तथ्य यह है कि वादीगण की परिवार में पुत्र वधु पटवारी है की जिसने अपने पद और महकमें का नाजायज रूप से फायदा उठाते हुये तहसीलदार साहब से गलत, तरीके से मिल्लत कर दिनांक 25.09.2017 को गलत तौर पर आराजी की पैमाईश करने गये थे। चुंकि वादीगण का खं0 सं0 781 व हम प्रतिवादीगण का खं0 सं0 782 के रकबा 0.72 है0 समान समान है। लेकिन हमारे खं0 सं0 782 का रकबा एक्स पार्चा में कम दर्शाया गया है। जिसकी बाबत हमने न्यायालय श्रीमान में

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (बलदव)

Scanned by CamScanner

एक्स पार्चा दुरूस्ती कराने हेतु हरिराम वगैरा बनाम कृष्ण वगैरा का वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में पेश किया हुआ है कि जो वाद विचाराधीन है जिसकी पेश बन्दी में मौजूदा वाद पेश किया गया है। खं0 सं0 781 वादीगण का एवं 782 हम प्रतिवादीगण का है। दोनो खं0 सं0 के बीच पुख्ता डोल कायम है लेकिन एक्स पार्चा में हमारे खं0 सं0 का रकबा कम दर्शाया गया है और वादीगण के खं0 सं0 का रकवा पूरा है। जिस एक्स पार्चा की दुरूस्ती हेतु हमने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में हरिराम आदि बनाम कृष्ण वगैरा वाद पेश किया है। जो विचाराधीन है। विवादित आराजी खं0 सं0 781 रकबा 0.72 है0 वादीगण का है तथा हम प्रतिवादीगण का खं0 सं0 782 रकबा 0.72 है0 दोनो खं0 सं0 के मध्य पुख्ता डोल कायम है। वादीगण के खं0 सं0 का रकबा एक्स पार्चा में पूरा है तथा हमारे खं0 सं0 का रकबा एक्स पार्चा में कम दर्शाया गया है जिस एक्स पार्चा की दुरूस्ती हेतु हमारे द्वारा न्यायालय श्रीमान में हरिराम बनाम कृष्ण वगैरा वाद पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है उक्त वाद में वादीगण प्रतिवादी की जद में दर्ज है। हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार की डोल नही काटी गई है और ना ही डोल काटने का प्रयास किया गया है लेकिन उक्त वाद की पशबन्दी में हमारे एक्स पार्चा को दुरूस्त नही होने के नियत से वादीगण द्वारा मौजदा वाद मिथ्या तथ्यो के आधार पर पेश किया जो मय हर्जा खर्चा काविले खारिज है।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। प्रार्थी विधिक प्रक्रिया अपनां कर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। काश्तकारी में सींव डोल महत्वपूर्ण है, सींव डोल के द्वारा काश्तकारो के कब्जा काश्त का निर्धारण किया जा सकता है। बिना विधिक आदेश, प्रक्रिया के सींव डोल में परिवर्तन, या कब्जा काश्त में दखलन्दाजी अविधिक है। अप्रार्थी को एक्स पार्चा व मौका में अंतर बाबत कोई उज्र है तो अप्रार्थी भी विधिक प्रक्रिया अपनाकर सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, एक्सपार्चा दुरूस्ती करवा सकता है। प्रार्थी को अपना हक हिस्सा तक कब्जा काश्त का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सावित है।

एक्सपार्चा व सीवडोल पुराने बने हुए है, मौके पर पक्षकार काश्तकार अपने कब्जा काश्त पर कायम है। प्रार्थी व अप्रार्थी विधिक प्रक्रिया अपनाकर दुरूस्ती के अधिकारी है, मगर जब प्रार्थी अपने कब्जा काश्त को विधिक प्रक्रियानुसार कायम रखना चाहता है तो अप्रार्थीगण को भी विधिक प्रक्रिया का सम्मान व सहयोग करना चाहिए। प्रार्थी को बिना विधिक प्रक्रिया के उसके कब्जा काश्त से बेदखल करने व सींव डोल मिसमार करने से प्रार्थी को असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी।

प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य एकस पार्चा दुरूस्ती व उसके अनुसार मौका पर पैमाईश हेतु विवाद है। किसी भी काश्तकार को केवल एक्स पार्चा के क्षेत्रफल के अनुसार ही भू–भाग नही दिया जा सकता है, यदि एक्सपार्चा पर ही प्रश्न चिन्ह हो तो राजस्व अधिकारी को जमावंदी में काश्तकार के रकबा व एक्सपार्चा के क्षेत्रफल का मिलान कर उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए, तब तक दोनो पक्षकारो को पुरानी सींव डोल व एक दूसरे के कब्जा काश्त को मान्यता व सम्मान देना चाहिए। राजस्व ऐजेन्सी द्वारा की गई पैमाईश व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही का सम्मान प्रत्येक काश्तकार को करना चाहिए। यदि कोई काश्तकार किसी न्यायालय के निर्णय से असहमत व्यथित हो तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 03.11.2017 के आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 781 रकबा 0.72 हैक्टयर वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम की पश्चिमी डोल को मिसमार ना करे, पत्थरगढ़ी के पत्थरो को ना उखाड़े, ना ही आराजी पर अतिक्रमण कर अपनी आराजी में मिलावे, ना ही वादीगण को काश्त करने में रूकावट डाले।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार [illegible](R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम